केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067

CIC/AA/A/2020/
CICOM/A/P/20/00036
CICOM/R/P/20/00090

अपीलकर्ता

श्री राज कुमार
सुपुत्र – श्री अन्त राम
127/9 केरण गुडा, वनतलाब,
जम्मू - 181123.

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.02.2020
2.	सूचना प्रदान करने की तिथि	19.02.2020, 03.03.2020
4.	सूचना प्रदान करने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री किशोर कुमार पुखराल
3.	प्रथम अपील आवेदन की तिथि	03.03.2020
5.	निर्णय की तिथि	01.04.2020

मांगी गई सूचना का संक्षिप्त विवरण:

I. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी

1. दिनांक 01.07.2019 से 05.02.2020 तक केन्द्रीय सूचना आयोग में अपीलकर्ता की कितनी द्वितीय अपीले/शिकायते प्राप्त हुई है, डायरी सं. सहित सूचना दी जाए, मुझे डायरी सं. क्यों नही दिया।
2. कितनी शिकायतों एवं अपीलों को डायरी नं. लगा है कितनों को नहीं, ब्यौरा प्रदान करें।
3. इन शिकायतों एव अपीलों का निपटारा सुनवाई कब तक होगी, समय अवधि के साथ ब्यौरा प्रदान करें।
4. जम्मू कश्मीर की शिकायतों एवं अपीलों का निपटारा सुनवाई का क्या प्रावधान है और सुनवाई की इजाजत संबंधी ब्यौरा और सटिफाइड कॉपी प्रदान करें, सुनवाई की इजाजत आयोग को मिली या नहीं, इजाजत पत्र की सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें।
5. सुनवाई की इजाजत के लिए आयोग ने किस केन्द्रीय विभाग को लिखा है, पत्र की सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें। इजाजत मिली या नहीं ब्यौरा प्रदान करें।

सी.पी.आई.ओ. द्वारा प्रदान की गई सूचना:

II. आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 एवं 2 के प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत सम्बंधित अनुभाग से सहायता प्राप्त कर दिनांक 19.02.2020 को सूचना प्रदान की गई, जिसमेंदिनांक 01.07.2019 से 05.02.2020 तक केन्द्रीय सूचना आयोग में अपीलकर्ता की प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों का विवरण डायरी सं. सहित संलग्नकके रूप में प्रेषित कर दिया गया था। आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3 के प्रतिउत्तर में दिनांक 19.02.2020 के पत्र में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप में बता दिया

Scanned by CamScanner

गया कि "कोई समय अवधि रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है"। आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 4 एवं 5 के संबंध में श्री किशोर कुमार पुखराल द्वारा दिनांक 03.03.2020 के पत्र के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई के संबंध में आयोग द्वारा की गई कार्यवाहियों की पत्रावली की कॉपी उपलब्ध करवा दी गई।

प्रथम अपील का आधार

III. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि - मैं आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं हूँ, बिंदु सं. 1 एवं 2 के तहत प्रदान की गई सूचना अधूरी है तथा बिंदु सं. 3 के तहत प्रदान की गई सूचना में समय अवधि तक नहीं है। बिंदु सं. 4 एवं 5 केवल ट्रांसफर किया गया है, सूचना प्रदान नहीं की गई है।

निर्णय

IV. प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदन के बिंदु सं. 1, 2 एवं 3 से संबंधित उपलब्ध सभी सूचनाएं श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 19.02.2020 को प्रेषित की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) केप्रावधानों के आलोक में एक जन सूचना अधिकारी केवल सम्बंधित लोक प्राधिकरण के रिकॉर्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है।जहाँ तक आवेदन के बिंदु संख्या 4 एवं 5 से सम्बंधित सूचना का प्रश्न है,बिंदु सं. 4 एवं 5 से संबंधित सूचना श्री किशोर कुमार पुखराल द्वारा दिनांक 03.03.2020 के पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है।उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 03.03.2020 को अपनीप्रथम अपील दाखिल की है। अत:प्रार्थी को श्री किशोर कुमार पुखराल द्वारा दिनांक 03.03.2020 के पत्र के माध्यम से प्रेषित सूचनाप्रथम अपील दाखिल करने के समय तक प्राप्त नहीं हुई होगी।बहरहाल, बिंदु सं. 4 एवं 5 के सम्बन्ध में प्रेषित सूचन भीसूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अनुरूप है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री किशोर कुमारा पुखराल, द्वारा प्रदान की गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में अनुसारतथ्यानुरूप है, तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

V. उपरोक्तानुसार प्रस्तुतअपील निस्तारित की जाती है।

VI. अपीलकर्ता यदि इस आदेश से संतुष्ट नहीं हों और चाहें तों इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक :01.04.2020

मीनाशर्मा
01/4/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि:-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (सी.आर,-1) केन्द्रीय सूचना आयोग।
3. श्री किशोर कुमार पुखराल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (लीगल सेल), केन्द्रीय सूचना आयोग।

Scanned by CamScanner